

मु.ने. 23/17 लार्ड्स 6-7/7, उनका सरकार/शर

डिस्क. शा. प्र. 14(4)

8/2

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उप०। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को ग्राम कीरपुरा में दिनांक 14/10/75 को भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आदेश अर्न्तगत नियम 14(4) के अर्न्तगत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अपीलान्ट की ओर से आलोच्य आदेश अपने प्रार्थना पत्र 14(4) के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे की यह सिद्ध हो सके कि रेस्पों० को ग्राम कीरपुरा में आराजी खं०नं० 33 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई है। परिणामतय: आलोच्य प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण होने से इस स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त वाद आराजीयात के निर्णय की प्रति संलग्न कर नये सिरे से पुनः प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुभार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखील दफ्तर की जावे।